नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला स्थापना शाखा)

संचिका संख्या 69—02/17/ पत्रांक ..../स्था0, दिनांक ..../2017

-: आदेश :-

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम-2015 के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रखण्ड सूचना एवं प्रोद्यौगिकी सहायक के लिए दिनांक 04.07.2014 को अनुमोदित प्रतीक्षा पैनल से प्रखण्ड सूचना एवं प्रोद्यौगिकी सहायक के (श्री आदित्य कुमार, नव नियोजित आई0टी0 सहायक लो0शि0नि0 कार्यालय, राजगीर द्वारा योगदान नहीं करने के कारण) रिक्त पद पर निम्नलिखित अभ्यर्थी को आई0टी0 सहायक के रूप में संविदा के आधार पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में सशर्त्त पदस्थापित किया जाता है।

क्र0	रोस्टर बिन्दु	आरक्षण कोटि	आई0टी0 सहायक का नाम	अभ्यर्थी का कोटि	पिता का नाम	जन्म तिथि	आवसीय पता	मोबाईल नं0	नियोजन कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	8	8	9	
1	07	अनारक्षित	शशि कान्त	सामान्य	एस0के0पी0 सिंह	27.03.1987	ग्राम- नारी पो0- जगदीशपुर तियारी थाना- नूरसराय जिला- नालन्दा	9204111874	अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, राजगीर

नियोजन के लिए शर्त्तें :-

1. उपरोक्त नियोजित आई0टी0 सहायक को प्रति माह 17000/- (सतरह हजार) रूपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जायेगा ।
2. यह नियोजन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए अथवा विभाग के द्वारा पहले समाप्त किया जाता है तब उस अवधि के लिए होगी । आवश्यकता अनुसार नियोजन अवधि बढ़ाई जा सकेगी । नियोजित आई0टी0 सहायको द्वारा किये गये कार्यो का मोनेटरिंग करने के पश्चात् कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बताये संविदा कभी भी रद्द कर दिया जायेगा ।
3. नियोजित आई0टी0 सहायक द्वारा नियोजित पद से त्याग करने की स्थिति में उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी, अन्यथा त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा और संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी, अथवा एक माह का मानदेय भुगतान रोक ली जायेगी ।
4. संविदा पर नियोजित आई0टी0 सहायक का सरकारी सेवा हेतु किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा ।
5. नियोजित आई0टी0 सहायक को पत्र प्राप्ति के साथ अबिलम्ब योगदान देना होगा । अन्यथा उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी ।
6. नियोजन अवधि पूर्ण होने से एक माह पूर्व संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा नियोजित आई0टी0 सहायक का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं कार्य अवधि विस्तार की अनुशंसा भेजना अनिवार्य होगा । ससमय अनुशंसा प्राप्त नहीं होने पर संविदा स्वतः रद्द हो जायेगी । इसके लिए कोई

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला स्थापना शाखा)

अलग से पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा एवं जिला में संधारित आई0टी0 सहायक के पैनल से रिक्ति स्थान पर नियोजन की प्रक्रिया की जायेगी ।

7. दो माह के भीतर हिन्दी टाईपिंग की जानकारी प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा ।
8. शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र पदस्थापित कार्यालय द्वारा संबंधित संस्थान/कार्यालय से सत्यापन कराने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।

ज्ञापांक 69-02/17-...566.../स्था0 दिनांक ..19/6/17...

प्रतिलिपि :- संबंधित आई0टी0 सहायक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि :- संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि :- प्रभारी विपत्र लिपिक एवं प्रभारी आवंटन लिपिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, लोक सेवाओं का अधिकार कोषांग, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।

ई–मेल :– dm-nalanda.bih@nic.in
दूरभाष सं0 :–06112-235204(R), 235203(O)
फैक्स सं0 :– 06112-235205(R), 236854(O)
जिला बेवसाईट :–http://nalanda.bih.nic.in